



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218786
CG-DL-E-19032020-218786

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1017]
No.1017]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2020/फाल्गुन 28, 1941
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2020/PHALGUNA 28, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

का.आ.1124(अ).— साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उप-धारा (1) और उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) योजना, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :

1. (1) इस योजना को नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) संशोधन योजना, 2020 कहा जाएगा।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) योजना, 1973 (जिसका इसके पश्चात उक्त योजना के रूप में उल्लेख किया गया है),
 - (i) पैरा 10 में “दो सौ करोड़ रुपए जो प्रत्येक दस रुपए के बीस करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित है” शब्दों के स्थान पर “दो हजार छः सौ करोड़ रुपए जो प्रत्येक दस रुपए के दो सौ साठ करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित है” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) दूसरी अनुसूची में,—

- (क) भाग 1, पैरा 2 में “दो सौ करोड़ रुपए जो प्रत्येक दस रुपए के बीस करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित है” शब्दों के स्थान पर “दो हजार छः सौ करोड़ रुपए जो प्रत्येक दस रुपए के दो सौ साठ करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित है” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) भाग 2, पैरा 3 में “कंपनी की शेयर पूंजी दो सौ करोड़ रुपए जो प्रत्येक दस रुपए के बीस करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित है” शब्दों के स्थान पर “कंपनी की शेयर पूंजी दो हजार छः सौ करोड़ रुपए जो प्रत्येक दस रुपए के दो सौ साठ करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित है” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 14013/33/2016-बीमा-II]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में 31 दिसम्बर, 1973 की अधिसूचना संख्या का.आ.806(अ) में प्रकाशित की गई थी और इसमें विगत संशोधन 16 अक्टूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ.929(अ) द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2020

S.O.1124 (E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and sub-section (6) of section 16 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme to further amend the National Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973 namely:-

1. (1) This Scheme may be called the National Insurance Company Limited (Merger) Amendment Scheme, 2020.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the National Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973 (herein after referred to as the said Scheme),—
 - (i) in paragraph 10, for the words, “rupees two hundred crore divided into twenty crore equity shares of ten rupees each”, the words “rupees two thousand six hundred crore divided into two hundred sixty crore equity shares of ten rupees each” shall be substituted;
 - (ii) in the Second Schedule,—
 - (A) in Part I, in paragraph 2, for the words “rupees two hundred crore divided into twenty crore equity shares of rupees ten each”, the words “rupees two thousand six hundred crore divided into two hundred sixty crore equity shares of rupees ten each” shall be substituted;
 - (B) in Part II, in paragraph 3, for the words “share capital of the company shall be rupees two hundred crore divided into twenty crore equity shares of ten rupees each”, the words “The share capital of the company shall be rupees two thousand six hundred crore divided into two hundred sixty crore equity shares of rupees ten each” shall be substituted.

[F. No.14013/33/2016-Ins. II]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 806(E), dated the 31st December, 1973 and last amended vide notification number S.O.929(E), dated the 16th October, 2000.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

का.आ.1125 (अ).— साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उप-धारा (1) और उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) योजना, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :

1. (1) इस योजना को ओरिएंटल फायर एंड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) संशोधन योजना, 2020 कहा जाएगा।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. ओरिएंटल फायर एंड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) योजना, 1973 (जिसका इसके पश्चात् उक्त योजना के रूप में उल्लेख किया गया है),
 - (i) पैरा 11 में “दो सौ करोड़ रुपए जो प्रत्येक दस रुपए के बीस करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित है” शब्दों के स्थान पर “दो सौ पचास करोड़ रुपए जो प्रत्येक दस रुपए के पच्चीस करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित है” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) दूसरी अनुसूची में,—
 - (क) भाग 1, पैरा 3 में “दो सौ करोड़ रुपए जो प्रत्येक दस रुपए के बीस करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित है” शब्दों के स्थान पर “दो सौ पचास करोड़ रुपए जो प्रत्येक दस रुपए के पच्चीस इक्विटी शेयर में विभाजित है” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ख) भाग 2, पैरा 1 में “कंपनी की शेयर पूंजी दो सौ करोड़ रुपए जो प्रत्येक दस रुपए के बीस करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित है” शब्दों के स्थान पर “कंपनी की शेयर पूंजी दो सौ पचास करोड़ रुपए जो प्रत्येक दस रुपए के पच्चीस करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित है” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 14013/33/2016-बीमा-II]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में 31 दिसम्बर, 1973 की अधिसूचना संख्या का.आ.805(अ) में प्रकाशित की गई थी और इसमें विगत संशोधन 16 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ.928(अ) द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2020

S.O.1125 (E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) and sub-section (6) of section 16 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme to further amend the Oriental Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Oriental Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Amendment Scheme, 2020.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Oriental Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973 (herein after referred to as the said Scheme),—
 - (i) in paragraph 11, for the words “rupees two hundred crore divided into twenty crore equity shares of ten rupees each”, the words “rupees two hundred fifty crore divided into twenty five crore equity shares of ten rupees each” shall be substituted;
 - (ii) in the Second Schedule,—

- (A) in Part I, in paragraph 3, for the words “rupees two hundred crore divided into twenty crore equity shares of rupees ten each”, the words “rupees two hundred fifty crore divided into twenty five crore equity shares of rupees ten each” shall be substituted;
- (B) in Part II, in paragraph 1, for the words “share capital of the company shall be rupees two hundred crore divided into twenty crore equity shares of ten rupees each”, the words “The share capital of the Company shall be rupees two hundred fifty crore divided into twenty five crore equity shares of rupees ten each” shall be substituted.

[F. No.14013/33/2016-Ins. II]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 805(E), dated the 31st December, 1973 and last amended vide notification number S.O.928(E), dated the 16th October, 2000.